न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. दिनेश राय सापेला, आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्याः 18 / 2024

अपीलार्थी

1. श्री डुंगरसिंह पुत्र शिवनाथसिंह जी, जाति– राजपूत, निवासी– सिलोईया, तहसील– सिरोही, जिला–सिरोही
2. श्री जब्बरसिंह पुत्र शिवनाथसिंह जी, जाति– राजपूत, निवासी– सिलोईया, तहसील सिरोही, जिला– सिरोही
3. श्री जुजाराम पुत्र पाताराम जी, जाति– सरगड़ा, निवासी– सिलोईया, तहसील सिरोही, जिला– सिरोही
4. श्री धनाराम पुत्र बाबाजी, जाति–कलबी, निवासी– सिलोईया, तहसील सिरोही, जिला–सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थीगण

1. कैलाश कुमार पुत्र जगताराम जी, जाति– मेघवाल, निवासी– सिलोईया, तहसील– सिरोही, जिला– सिरोही
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सिरोही, जिला– सिरोही

"अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955"

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री राजेन्द्र पुरी, अपीलार्थीगण की ओर से
2. अधिवक्ता श्री भैरुपाल सिंह बालावत, प्रत्यर्थी संख्या– 1 (एक) की ओर से
3. पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थी संख्या–2 (दो) की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 19 मार्च, 2025**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थीगण की ओर से यह अपील तहसीलदार, सिरोही द्वारा प्रकरण संख्या 01 / 2023 अर्न्तगत धारा 183(बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में पारित निर्णय दिनांक 18–6–2024 को निरस्त कराने हेतु प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थीगण को सम्मन जारी किये गये एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अपील की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी संख्या– 1 (एक) की ओर से अधिवक्ता श्री भैरुपाल सिंह बालावत उपस्थित हुये एवं प्रत्यर्थी संख्या– 2 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुये।

(3) बहस सुनी गई। अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री पुरी ने अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सिरोही ने विवादित कृषि भूमि का अपीलार्थीगण को अतिक्रमी मानकर बेदखल करने के आदेश पारित करने में कानूनन भूल की है। यह कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रत्यर्थी संख्या– 1 (एक) की भूमि पर अतिक्रमण नही किया है एवं न ही अपीलार्थीगण का प्रत्यर्थी संख्या–1 (एक) की कृषि भूमि पर कब्जा है। प्रत्यर्थी संख्या–1 (एक) के खसरा संख्या 1140 / 562 रकबा 1–40 हेक्टेयर की कृषि भूमि के पास अपीलार्थीगण की कृषि भूमि लगते हुये आई हुई है तथा अपीलार्थीगण अपने खातेदारी भूमि पर काबिज काश्त है। पटवारी हल्का द्वारा मौके की जांच किये बिना ही अपीलार्थीगण की भूमि का नाप किये बगैर एवं मौके का नक्शा बनाये बिना ही गलत सीमाज्ञान के आधार पर सीमाज्ञान रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की गई एवं अधीनस्थ न्यायालय ने

......पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही *
सत्यमेव जयते

उक्त सीमाज्ञान रिपोर्ट को आधार मानकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। क्योंकि अपीलार्थीगण के खातेदारी भूमि का नाप जोख व सीमाज्ञान नहीं किया गया है। जब तक अपीलार्थीगण की कृषि भूमि एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 (एक) की कृषि भूमि का टीम गठित कर सीमाज्ञान नहीं किया जाता तब तक वास्तविक नाप अनुसार कब्जा नहीं है। केवल मात्र पटवारी हल्का ने सरसरी तौर पर खसरा संख्या 1140/562 के मध्य भाग को छोड़कर करीब 0.12 बीघा एवं पश्चिम के आंशिक भाग भाग 0.14 बीघा भूमि पर अपीलार्थीगण का जो कब्जा होना बताया है वह गलत है। सीमाज्ञान करते समय अपीलार्थीगण को मौके पर नहीं बुलाया गया व जो सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 11.08.2023 को तैयार की गई है वह बिना किसी आधार के बिना किसी नक्शा बिना किसी नाप के तैयार की गई है जो कदापि मानने योग्य नहीं है। यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर नहीं दिया है। यह कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत प्रस्तुत किया था जिसका निर्णीत किये बिना ही प्रकरण में अन्तिम निर्णय पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपीलार्थीगण की अपील को स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.6.2024 को निरस्त किया जावे। जबकि बहस के दौरान प्रत्यर्थी संख्या-1 (एक) के विद्वान अधिवक्ता श्री बालावत ने यह व्यक्त किया कि प्रत्यर्थी संख्या- 1 (एक) की खातेदारी कृषि भूमि के मध्य भाग को छोड़कर पूर्व दिशा के आंशिक भाग पर डूंगरसिंह व जब्बरसिंह द्वारा रकबा 0-12 बीघा भूमि पर कब्जा करने व पश्चिम दिशा के आंशिक भाग पर जुजाराम व धनाराम द्वारा रकबा 0-14 बीघा भूमि पर अवैध कब्जा करने से कब्जा छुडवाने हेतु तहसीलदार, सिरोही को धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर न्यायालय तहसीलदार, सिरोही में प्रकरण दर्ज किया बाद सुनवाई एवं बाद जांच सीमाज्ञान रिपोर्ट के अनुसार अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.6.2024 को पारित करके प्रत्यर्थी संख्या-1 (एक) को उक्त भूमि का दिनांक 10.7.2024 को कब्जा दिलवा दिया है। तत्पश्चात् प्रत्यर्थी संख्या- 1 (एक) द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ दिनांक 14.8.2024 को संपरिवर्तन करवाया गया है। अब विवादित भूमि आवासीय संपरिवर्तित भूमि है। अतः अपीलार्थीगण की अपील को खारिज किया जावे। पैरोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि प्रत्यर्थी कैलाश कुमार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सिरोही में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183(बी) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर बाद जांच एवं सुनवाई राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183(बी) के तहत कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि प्रत्यर्थी कैलाश कुमार पुत्र जगताजी, जाति-मेघवाल, निवासी- सिलोईया द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सिरोही में एक प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183(बी) के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि उसके कब्जे काश्त की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम सिलोईया के खसरा संख्या 1140/562 कुल रकबा 1.40 हेक्टेयर का सीमाज्ञान किया, जिसमें खसरा संख्या 1140/562 के मध्य भाग को छोडकर पूर्व दिशा में डूंगरसिंह, जब्बरसिंह पुत्र शिवनाथसिंह, जाति- राजपूत, निवासी- सिलोईया का करीब 0-12 बीघा भूमि पर कब्जा व पश्चिम के भाग पर करीब 0-14 बीघा भूमि पर जूजाराम पुत्र पताजी, जाति-हीरागर, निवासी-सिलोईया व धनाराम पुत्र बाबाजी कलबी, निवासी- सिलोईया का कब्जा है, इसलिये कब्जा छुड़वाकर राहत प्रदान की जावे। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिरोही में राजस्थान

....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183(बी) के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान को नोटिस जारी किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण की ओर से उनके अधिवक्ता उपस्थित हुये। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि दिनांक 10.5.2023 को पटवारी हल्का, सरतरा द्वारा प्रत्यर्थी खातेदार कैलाश कुमार की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम सिलोईया के खसरा संख्या 1140 / 562 कुल रकबा 0–40 हेक्टेयर का मौत बिरान की उपस्थित में सीमाज्ञान किया गया, जिसमें कुएं खसरा संख्या 257 को मुस्तकिल बिन्दु मानकर पैमाईश की गई एवं इस पैमाईश में खसरा संख्या 1140 / 562 में मध्य भाग को छोडकर पूर्व दिशा में डूंगरसिंह, जब्बरसिंह, पिसरान– शिवनाथसिंह, जाति– राजपूत, निवासी– सिलोईया का करीब 0–12 बीघा भूमि पर कब्जा पाया गया व पश्चिम के भाग पर करीब 0–14 बीघा भूमि पर जूजाराम पुत्र पताजी, जाति– सरगरा, निवासी– सिलोईया व धनाराम पुत्र बाबाजी कलबी, निवासी– सिलोईया का कब्जा पाया गया। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रत्यर्थी कैलाश कुमार की खातेदारी की कृषि भूमि पर अनाधिकृत रुप से कब्जा कर अतिक्रमण किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सिरोही द्वारा उक्त प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 18.6.2024 की पालना में प्रत्यर्थी कैलाश कुमार को दिनांक 10 / 7 / 2024 को भूमि का कब्जा सुपर्द किया जा चुका है तथा प्रत्यर्थी कैलाश कुमार द्वारा उसकी उक्त खातेदारी कृषि भूमि का दिनांक 14.8.2024 को आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन भी करवाया गया है। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थीगण की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत अपील अपीलार्थीगण, अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध प्रत्यर्थीगण खारिज की जाती है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 19 मार्च, 2025 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सिरोही

अतिरिक्त जिला ... सिरोही